



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052025-263031
CG-DL-E-10052025-263031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2029]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2029]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2074(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में इस्माइलाबाद-अंबाला खंड के रा.रा.-152 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 42+500 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेड़ शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट रैभनू औफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर

द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में इस्माइलबाद-अंबाला खंड के रा.रा.-152 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 42+500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: अम्बाला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अंबाला शहर					
गांव का नाम: बलाना					
1	118//14/2 Min	निजी	कृषि	0.0986 (हेक्टेयर)	0.0986
2	118//7/1 Min	निजी	कृषि	0.1467 (हेक्टेयर)	0.1467
गांव का नाम: मटेहडी शेखा					
3	26//10 Min	निजी	कृषि	0.0658 (हेक्टेयर)	0.0658
4	26//11/1 Min	निजी	कृषि	0.0658 (हेक्टेयर)	0.0658
5	26//11/2 Min	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
6	26//9/2 Min	निजी	कृषि	0.0708 (हेक्टेयर)	0.0708
7	29//13/1 Min	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
गांव का नाम: लान्डयलि					
8	336 Min	निजी	कृषि	0.1872 (हेक्टेयर)	0.1872
9	337 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.2023 (हेक्टेयर)	0.2023
10	381 Min	निजी	कृषि	0.0506 (हेक्टेयर)	0.0506
11	382 Min	निजी	कृषि	0.0809 (हेक्टेयर)	0.0809
Total					1.0168

[फा. सं. 13001/NHAI/PIU/AMB/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

S.O. 2074(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ismailabad-Ambala section of NH-152 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 42.500 in the district of AMBALA in the state of HARYANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer, Ambala in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ismailabad-Ambala section of NH-152 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 42.500 in the district of AMBALA in the state of HARYANA.

State: HARYANA			District: AMBALA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambala City					
Village: Balana					
1	118//14/2 Min	Private	Agriculture	0.0986 (Hectare)	0.0986
2	118//7/1 Min	Private	Agriculture	0.1467 (Hectare)	0.1467
Village: Matchari shekhana					
3	26//10 Min	Private	Agriculture	0.0658 (Hectare)	0.0658
4	26//11/1 Min	Private	Agriculture	0.0658 (Hectare)	0.0658
5	26//11/2 Min	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
6	26//9/2 Min	Private	Agriculture	0.0708 (Hectare)	0.0708
7	29//13/1 Min	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
Village: Landyali					
8	336 Min	Private	Agriculture	0.1872 (Hectare)	0.1872
9	337 Min	Private	Agriculture	0.2023 (Hectare)	0.2023
10	381 Min	Private	Agriculture	0.0506 (Hectare)	0.0506
11	382 Min	Private	Agriculture	0.0809 (Hectare)	0.0809
Total					1.0168

[F. No. 13001/NHAI/PIU/AMB/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director